संघ लोक सेवा आयोग

नोट

सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2018

संघ लोक सेवा आयोग 29 जून से 01 जुलाई, 2018 तक देशभर के विभिन्न केन्द्रों पर सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2018 आयोजित करेगा। ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in **पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसकी ध्यानपूर्वक जांच कर लें तथा विसंगति, यदि कोई हो, को तुरंत आयोग के ध्यान में लाएं। अस्वीकृति का (के) कारण बताते हुए अस्वीकृति पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं और संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित कर दिए गए हैं। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के मामले में, उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर टेलीफोन नं. 011-23385271, 011-23381125 और 011-23098543 पर किसी भी कार्य दिवस के दौरान प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। उम्मीदवार, फैक्स सं. 011-23387310 पर फैक्स संदेश भी भेज सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा।**

2. यदि किसी उम्मीदवार ने किसी प्रकार का अभ्यावेदन दिया है, तो उन्हें अपना ई-मेल देखते रहने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित का भी प्रिंटआउट निकाल लें :

(i) **ई-प्रवेश पत्र** और

(ii) उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश **(इन्हें समय रहते ध्यानपूर्वक पढ़ लें)**। विगत में ऐसे मामले ध्यान में आए हैं, जब अंतिम समय में सर्वर के ओवरलोड होने के कारण कुछ उम्मीदवारों को सर्वर को एक्सेस करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। **अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-प्रवेश पत्र पहले ही डाउनलोड कर लें।**

3. यदि ई-प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट रूप से मुद्रित नहीं है तब उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा-स्थल पर अपने साथ पहचान का प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस और ई-प्रवेश पत्र के प्रिंटआउट के साथ 2 (दो) समरूप फोटोग्राफ (परीक्षा के प्रत्येक दिन प्रत्येक सत्र के लिए एक समरूप फोटोग्राफ) लेकर आएं।

मोबाइल फोन प्रतिबंधित

मोबाइल फोन अथवा किसी अन्य संचार उपकरण की अनुमति नहीं है और मोबाइल फोन अथवा कोई अन्य संचार उपकरण अथवा कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु लाने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने की स्थिति में उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें भविष्य में होने वाली परीक्षाओं पर रोक शामिल है।

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली - 110069 दिनांक 11 जून, 2018/ 21 ज्येष्ठ, शक 1940

संघ लोक सेवा आयोग

सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2018

दृष्टि बाधित उम्मीदवारों (न्यूनतम 40% दृष्टि अक्षमता) तथा लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले ऐसे उम्मीदवार, जिनकी कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) प्रभावित (न्यूनतम 40% अक्षमता) है, द्वारा प्रतिपूरक समय तथा/अथवा स्क्राइब (लेखन सहायक) की सुविधा का लाभ उठाने संबंधी अनुदेश

1. सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2018 का आयोजन 29.06.2018, 30.06.2018 तथा 01.07.2018 को किया जाएगा। 29 और 30 जून, 2018 को आयोजित होने वाली परीक्षा के दो सत्र होंगे और प्रत्येक सत्र तीन घंटे की अवधि का होगा। 01.07.2018 को केवल एक सत्र होगा जो पूर्वाह्न 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक का होगा।

2. हालांकि, दृष्टि बाधित उम्मीदवार (न्यूनतम 40% दृष्टि अक्षमता) तथा लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले ऐसे उम्मीदवार, जिनकी कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) प्रभावित (40% तक या अधिक) है, उन्हें प्रत्येक पेपर में **20 (बीस) मिनट प्रतिघंटे** की दर से कुल 60 (साठ) मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। साथ ही ये उम्मीदवार स्क्राइब (लेखन सहायक) की सहायता भी ले सकेंगे।

3. दृष्टि बाधित (वीसी) उम्मीदवार तथा लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (एलडीसीपी) वाले ऐसे उम्मीदवार, जिनकी कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) प्रभावित (40% तक या अधिक) है, उन्हें निर्धारित प्रोफार्मा में "परिवचन" देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि क्या उन्होंने प्रत्येक पेपर में प्रतिपूरक समय का लाभ उठाया है। यह प्रोफार्मा परीक्षा-स्थल पर परीक्षा-स्थल पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान किया जाएगा।

4. ऐसे उम्मीदवारों को यह विकल्प भी उपलब्ध होगा कि या तो वे स्वयं अपने स्क्राइब लाएं या परीक्षा देने के लिए आयोग से स्क्राइब की व्यवस्था करने का अनुरोध करें।

5. वीसी/एलडीसीपी उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु लाए जाने वाले स्क्राइब के लिए ई-प्रवेश प्रमाण पत्र सृजित किया जाएगा।

जारी/-

6. जिन उम्मीदवारों ने स्वयं अपने स्क्राइब लाने का विकल्प चुना है वे यह नोट कर लें कि मान्य ई-प्रवेश प्रमाण पत्र के बिना उनके स्क्राइब को उनकी सहायता के लिए परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. प्रत्येक दृष्टि बाधित/एलडीसीपी उम्मीदवार के सामने एक स्क्राइब बैठेगा और एक निरीक्षक स्क्राइब के बगल में बैठेगा।

8. उम्मीदवार द्वारा लाए जाने वाले स्क्राइब को चाहिए कि वह प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका पर छपे उम्मीदवारों हेतु अनुदेशों को स्पष्ट रूप से बोलकर पढ़े और उम्मीदवार को भी यह चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्क्राइब द्वारा उम्मीदवार की ओर से उत्तर लिखने की प्रक्रिया में उक्त अनुदेशों का पूर्णतया अनुपालन किया जाए।

9. स्क्राइब उम्मीदवार के लिए प्रश्नों को बोलकर पढ़ेगा और उम्मीदवार द्वारा बताए अनुसार उत्तर लिखेगा। उम्मीदवार स्क्राइब को यह स्पष्ट रूप से बताएगा कि क्या लिखा जाना है ताकि स्क्राइब तदनुसार उत्तर पुस्तिका में नीले/काले पेन से उत्तर लिख सके।

10. निरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के रूप में वही लिखा जाए, जो उम्मीदवार ने कहा है।

11. स्क्राइब ऐसा कोई इशारा, आवाज या कोई अन्य संवाद संकेत नहीं करेगा जिससे उम्मीदवार को यह अनुमान लगे कि उसके द्वारा लिखाया जाने वाला उत्तर सही है अथवा नहीं। इस प्रकार का प्रयास किए जाने पर उम्मीदवार की अर्हता रद्द कर दी जाएगी और संबंधित उम्मीदवार और स्क्राइब, दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

12. स्क्राइब को परीक्षा भवन में परीक्षा-स्थल पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान किए गए निर्धारित प्रोफार्मा में अपना विवरण अर्थात् नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी प्रदान करनी होगी। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले स्क्राइब को यह प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा प्रदान किया गया विवरण सत्य और सटीक है। स्क्राइब को इस आशय के उद्घोषणा पर भी हस्ताक्षर करने होंगे कि उसने वीसी/एलडीसीपी उम्मीदवारों के संदर्भ में आयोग के परीक्षा संबंधी अनुदेशों को पढ़ लिया है और वह इन अनुदेशों का अनुपालन करने का वचन देता है।

13. उम्मीदवार, परीक्षा के नियमों/अनुदेशों के अध्यधीन होगा और इनके उल्लंघन की स्थिति में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।